कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग छिन्दवाड़ा

–: निविदा विज्ञप्ति कमांक–07 :–

नि0क0 / 07 / निविदा / ग्रा0यां0से0 / 2011–12 छिन्दवाडा, दिनांक 05 / 08 / 2011

म0प्र0 के राज्यपाल की ओर से निम्नांकित निर्माण कार्यो हेतु मोहरबंद निविदायें फार्म ''ए'' पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा / राज्य अथवा केन्द्र के कार्य विभागों / उपकमों / संस्थाओं / प्राधिकरण में समतुल्य / सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से सिविल कंस्ट्रक्शन, सेनेटरी फिटिंग एवं वाटर सप्लाई कार्य हेतु क0 1 से 14 तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दिनांक 12.04.2010 से प्रभावशील दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) व क0 15 हेतु दिनांक 01.09.2003 से प्रभावशील दरअनुसूची एवं विद्युतीकरण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की दिनांक 01.04.08 से लागू दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) के आधार पर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में दिनांक 27.08.2011 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 26.08.2011 तक कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।

क.	कार्य का नाम	वि0ख0	अनु. लागत (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि (बर्षाकाल सहित)	ठेकेदार की श्रेणी	आमंत्रण कमांक
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	सामुदायिक भवन सह प्रशिक्षण भवन निर्माण कार्य ग्राम रामाकोना	सौंसर	43.00	50000.00	5000.00	11 माह	अ–2 एवं उच्च अथवा समतुल्य अथवा ;द्ब	प्रथम
2.	सामुदायिक भवन निर्माण (पुराना सैल टैक्स आफिस के पास) छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	21.93	44000.00	5000.00	9 माह	––,,––	प्रथम
3.	जनपद पंचायत कार्यालय हेतु हॉल एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण तामिया	तामिया	8.79	17580.00	2000.00	9 माह	अ–1 एवं उच्च अथवा समतुल्य अथवा ;द्ब	प्रथम
4.	जनपद पंचायत भवन का विस्तार निर्माण कार्य बिछुआ	बिछुआ	8.60	17200.00	2000.00	9 माह	अ–1 एवं उच्च अथवा समतुल्य अथवा ;द्ब	प्रथम
5.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवन उन्नयन कार्य धनौरा	हर्रई	19.00	38000.00	2000.00	9 माह	अ–2 एवं उच्च अथवा समतुल्य अथवा ;द्ब	चतुर्थ
6.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवन शेष कार्य अमरवाड़ा	अमरवाड़ा	14.90	29800.00	2000.00	9 माह	––,,––	चतुर्थ
7.	शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल नान्दनवाड़ी	पान्ढुर्णा	17.28	34560.00	2000.00	9 माह	––,,––	तृतीय
8.	शासकीय हायर सेकेण्डरी उत्कृष्ट स्कूल पान्ढुर्णा	पान्ढुर्णा	14.40	28800.00	2000.00	9 माह	––,,––	तृतीय
9.	शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल संजय गांधी तिगांव	पान्ढुर्णा	9.10	18200.00	2000.00	6 माह	अ–1 एवं उच्च अथवा समतुल्य अथवा ;द्ब	तृतीय
10.	शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल सिवनी	पान्ढुर्णा	9.10	18200.00	2000.00	6 माह	––,,––	तृतीय
11.	सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कार्य वार्ड क0–13 सौंसर	सौंसर	5.80	11600.00	2000.00	6 माह	––,,––	द्वितीय
12.	प्रशिक्षण भवन निर्माण कार्य जनपद पंचायत परिसर सौंसर	सौंसर	6.07	12140.00	2000.00	6 माह	––,,––	द्वितीय
13.	जनपद पंचायत सौंसर कार्यालय विस्तार कक्ष हॉल निर्माण कार्य	सौंसर	9.47	18940.00	2000.00	6 माह	––,,––	द्वितीय
14.	जनपद पंचायत भवन के प्रथम तल पर कमरों का निर्माण कार्य अमरवाड़ा	अमरवाड़ा	8.12	16240.00	2000.00	6 माह	––,,––	पंचम
15.	डब्ल्यू0बी0एम0 सड़क निर्माण छिपीवाड़ा से पटपड़ा (शेष कार्य)	परासिया	3.30	6600.00	2000.00	3 माह	बी एवं उच्च अथवा समतुल्य अथवा ;द्ब	तृतीय

नोटः–

1. ;द्ब म0प्र0 लो0नि0वि0 के पत्र क0 एफ 17–1 / बी / 19 / 2010 / पार्ट–चार भोपाल दिनांक 29.03.2011 एवं दिनांक 29.03.2011 एवं दिनांक 08.03.2011 में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार श्रेणी ''स'' में पंजीयन।
2. म0प्र0 लो0नि0वि0 के पत्र क0 एफ 17–1 / बी / 19 / 2010 / पार्ट–चार भोपाल दिनांक 29.03.2011 एवं दिनांक 08.03.2011 में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार निर्माण कार्य विभागों, अन्य शासकीय / अर्द्व शासकीय / निगम एवं बोर्ड में पूर्व पंजीकृत फर्म / ठेकेदार का नवीन एकीकृत, पंजीयन व्यवस्था में व्यवस्थापन हेतु इस व्यवस्था के लागू होने के दिनांक से 03 माह का समय प्रदान किया जावेगा ताकि वे इस एकीकृत व्यवस्था में सम्मिलित हो सके।

3- कार्य संबंधी विवरण एवं निविदा की शर्ते आदि कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।

निविदा की सामान्य शर्तेः–

1. कार्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों को अनुबंध से पूर्व म0प्र0 लोक निर्माण विभाग में पत्र क्रमांक एफ 17–1/बी/2010/पार्ट–4 भोपाल, दिनांक 29.03.2011 के अनुक्रम में उपयुक्त/सक्षम श्रेणी में निविदा स्वीकृति जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अन्दर पंजीयन (पंजीकरण) कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
2. ठेकेदार द्वारा पंजीयन की मूल प्रति, फर्म/कंपनी के निर्माण तथा पार्टनरशिप डीड, मुख्यितयारनामा/पावर आफ अटार्नी (यदि आवश्यक हो तो), निविदाकार का पेन नम्बर, टिन नम्बर की वैद्यता संबंधी दस्तावेज तथा फर्म में कार्यरत अभियन्ता आदि की जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा क्रय करते समय पंजीयन की प्रतिलिपि एवं नवीन वैद्य सालवेंसी, वाणिज्य कर विभाग का चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही निविदा प्रपत्र विक्रय किये जावेगें।
4. सर्शत, कटी–फटी अथवा ओव्हर राईटिंग लिखाई की निविदा मान्य नहीं की जावेगी। ठेकेदार कार्य स्थल का निरीक्षण निविदा प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के पूर्व कर लेवें।
5. निविदा मुहरबंद 03 लिफाफों में अलग–अलग देना होगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि, द्वितीय लिफाफा में वित्तीय प्रस्ताव निर्धारित निविदा प्रपत्र में देना होगा। उपरोक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद करके प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. ठेकेदार प्रदत्त निविदा के साथ अमानत राशि प्रस्तुत करें। पूर्व निविदाओं की राशि समायोजित नहीं की जावेगी। यह राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से जमा फिक्स डिपॉजिट जो संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के पक्ष में देय हो तथा कार्यावधि के लिये जमा हो मान्य की जावेगी।
7. निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
8. अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व खनिज गौण संपदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मेन्डेटरी टेस्ट सूची अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाने के उपरांत किया जावे।
10. निर्माण कार्य के स्पेशिफिकेशन में फेरबदल करने का अधिकारी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छिन्दवाड़ा को होगा।
11. निविदा से संबंधित किसी भी वाद–विवाद पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
12. श्रम संविदा एक्ट के अतंर्गत जीवित लेबर लायसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
13. कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।
14. संबंधित ठेकेदार का ऊर्जा विभाग/म0प्र0 अनुज्ञापन मण्डल(विद्युत) भोपाल द्वारा जारी विद्युतीकरण कार्य का समक्ष श्रेणी का वैध पंजीयन होना अथवा विद्युतीकरण (बिजली) कार्य हेतु सक्षम श्रेणी के वैध पंजीयनधारी लायसेंसी का ठेकेदार से संबद्व होना आवश्यक होगा। (तदाशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा)
15. विशेष क्षैत्र विकास प्राधिकरण/वनक्षैत्र आदि में लागू नियमों के पालन का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
16. निर्माण से संबंधित संरचनात्मक (स्ट्रक्चरलर) आर.सी.सी. डिजाईन का अनुमोदन कार्य संपादन के पूर्व ठेकेदार द्वारा अधोहस्ताक्षर कर्ता से कराया जाना होगा।
17. कार्य के प्राक्कलन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 12.04.2010 से लागू एवं निविदा सूचना दिनांक तक संशोधित एस.ओ.आर. पर बनाये गये है। यदि ठेकेदार की निविदा दरें इस कार्यों हेतु प्रचलित एस.ओ.आर. से असंतुलित अर्थात् एस.ओ.आर. से कम प्रतिशत पर प्राप्त होती हैं तो प्रचलित एस.ओ.आर. दर पर कार्य की लागत एवं ठेकेदार की दरों पर कार्य की लागत के अंतर की 25 प्रतिशत राशि अतिरिक्त सुरक्षा निधि के रूप में (जो बैंक गारंटी के रूप में संबंधित कार्यपालन यंत्री के पक्ष में देय होना चाहिये) कार्य पूर्णता तक जमा करानी होगी।
18. ऐसे ठेकेदार जिन्होनें पूर्व में विभाग में कार्य लिये और अपूर्ण अवस्था में छोड़ दिये अथवा कार्य प्रारंभ ही नहीं किये उन्हें निविदा प्रपत्र विक्रय नहीं किये जावेगे।
19. रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख) से अधिक के निर्माण कार्यो हेतु जो ठेकेदार इंजीनियरिंग अर्हता प्राप्त नहीं है उन्हे अपने कार्यो की देखरेख हेतु एक डिप्लोमा होल्डर यंत्री/स्नातक यंत्री को सेवा में रखने हेतु इस बावत वचन पत्र व शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा प्रपत्र विक्रय नहीं किये जावेगें।
20. निविदा कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर अथवा किन्हीं भी परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।
21. समस्त प्रकार के निर्माण कार्यों हेतु परफार्मेन्स एण्ड डिफेक्ट लायबिलिटी की गारंटी अवधि, कार्य की वास्तविक पूर्णता तिथि के पश्चात् 24 माह तक रहेगी। गारंटी अवधि में ठेकेदार को देय राशि की, कुल 10 प्रतिशत राशि अंतिम भुगतान के पश्चात् रोक कर रखी जावेगी। इस हेतु सुरक्षा जमा के रूप में 5 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त, डिफेक्ट लायबिलिटी के रूप में, 5 प्रतिशत राशि, इस प्रकार कुल 10 प्रतिशत राशि, ठेकेदार के बिल से काटी जावेगी। यदि इस अवधि में निर्माण कार्य में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से सुधार कार्य कराया जावेगा। ठेकेदारों को लिखित में सूचित करने के 15 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा कार्य न कराये जाने पर, प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर, अन्य कर्मकारों द्वारा सुधार कार्य कराया जावेगा एवं सुधार कार्य पर किये गये व्यय की राशि (जिस बाबत् प्रभारी अभियंता का प्रमाणपत्र अंतिम होगा) उपरोक्तानुसार ठेकेदार की जमा 10 प्रतिशत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। दो वर्ष के पश्चात् प्रभारी अभियंता के द्वारा निरीक्षण में निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद पाये जाने पर ठेकेदार से वसूली योग्य राशि के समायोजन पश्चात् शेष जमा राशि ठेकेदार को वापस की जावेगी। यदि सुधार कार्य के व्यय की राशि ठेकेदार की जमा राशि से अधिक रहती है तो अंतर की राशि उससे बकाया भू–राजस्व/नगद प्रतिभूति के रूप में वसूल की जावेगी।
22. निर्माण कार्य के स्पेशिफिकेशन में फेरबदल करने का अधिकार कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छिन्दवाड़ा को होगा।
23. विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा ।

कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
संभाग छिन्दवाड़ा

पृ0कमांक / 1139 / निविदा / ग्रायासे / 2011–12 छिन्दवाड़ा दिनांक 05 / 08 / 2011
प्रतिलिपिः–

वृहद प्रचार प्रसार हेतु सम्प्रेषित ।

1. संचालक जन संपर्क संचालनालय जन संपर्क भवन वाण गंगा रोड भोपाल की ओर एक स्थानीय एवं एक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।
2. महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर प्रथम टीसी–4.की ओर सूचनार्थ ।
3. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय म0प्र0 भोपाल.
4. जिलाध्यक्ष छिन्दवाड़ा
5. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जबलपुर मण्डल जबलपुर.
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छिन्दवाड़ा.
7. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य विभाग छिन्दवाड़ा
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ....
9. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग कमांक एक छिन्दवाड़ा / कमांकइ 2 छिन्दवाड़ा / सौंसर / तामिया / अमरवाड़ा / जिला सेक्टर छिन्दवाड़ा
10. एन0आई0सी0 छिन्दवाड़ा की ओर बेब साईट में प्रदर्शित हेतु प्रेषित ।
11. कार्यालय लेखा / तकनीकी शाखा
12. म0प्र0 शासकीय ठेकेदार एसोसिएशन–32 सुन्दर नगर पिपलानी बी0एच0ई0एल0 भोपाल
13. कार्यालयीन सूचना पटल हेतु ।

कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
संभाग छिन्दवाड़ा